UPMA010053242025

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।
पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार यादव–III(एच.जे.एस.)
ID Code–UP2023
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–433/2025

गुन्जन पाण्डेय–––––––बनाम–––––उ०प्र० राज्य आदि

दिनांकः–10.08.2026

(1) पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक/प्रस्तावित अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा विपक्षी सं० 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 13 ख पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है।

(2) आवेदक/प्रस्तावित अपीलकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 4 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने दिनांक 30.09.2025 को आदेश पारित किया गया था तथा उक्त आदेश का नकल अपीलार्थी ने प्राप्त भी कर लिया था परन्तु अपीलार्थी टाईफाईड व अन्य बीमारियों से ग्रसित हो गया, जिसका इलाज डा० पी०एल० गुप्ता के यहां करा रही थी तथा ठीक होने के उपरांत अपील दाखिल की गयी है। अपील दाखिल करने में देर हुई है। अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करके दफा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का लाभ प्रदान करने की याचना की है।

(3) विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये आपत्ति 13 ख इस आशय प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अत्यन्त विलम्ब से तथा मामले को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन तथा वास्तविकता एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब का कारण स्वयं के बीमार होना और इलाज डा० पी.एल. गुप्ता के यहां से कराने का उल्लेख किया है परन्तु कोई चिकित्सकीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना विधिसंगत नहीं है। उक्त कथनों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(4) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

(5) पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को आदेश पारित किया गया है परन्तु आवेदिका/अपीलार्थी के बीमार होने

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.08.11 12:32:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के कारण और दवा–इलाज में व्यस्त होने के कारण प्रस्तुत अपील विलम्ब से दिनांक 05.11.2025 को प्रस्तुत की गयी, जिससे यह स्पष्ट है कि फौजदारी अपील लगभग 5 दिन विलम्ब से दाखिल किया गया है। विलम्ब के संबन्ध में आवेदक द्वारा सशपथ यह कहा गया है कि आवेदिका/अपीलार्थी ने आक्षेपित आदेश की नकल प्राप्त होने के पश्चात बीमार हो गयी था और उसके दवा–इलाज में व्यस्त हो गयी थी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को लचीला रूप अपनाना चाहिये, अत्यंत कठिनाई पूर्वक इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिये।

(6) विधि व्यवस्था ओरियन्टल एरोमा केमिकल इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम गुजरात इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन व अन्य 2010(2) जे सी एल आर (सुप्रीम कोर्ट) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यद्यपि कि प्रत्येक दिन होने वाली विलम्ब को स्पष्ट करने के लिये कोई निश्चित मापदण्ड का नियम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि विलम्ब को उपशमित किये जाने हेतु न्यायालयों द्वारा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

(7) इस प्रकार आवेदक/प्रस्तावित अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब का स्पष्ट कारण उल्लिखित किया गया है और अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध निर्धारित अवधि में अपील न दाखिल करने के पीछे पर्याप्त कारण मौजूद था। उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(8) आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तावित फौजदारी अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली फौजदारी अपील की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवायी हेतु दिनांक 31.08.2026 को पेश हो। उभय पक्ष नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांकः–10.08.2026

सत्र न्यायाधीश
मऊ